श्री हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

डॉ. रामेश्वर उराँव
वित्त मंत्री

डॉ. रामेश्वर उराँव

वित्त मंत्री

का

बजट भाषण

राँची, दिनांक 03 मार्च, 2023

डॉ. रामेश्वर उराँव

वित्त मंत्री

का

बजट भाषण

राँची, दिनांक 03 मार्च, 2023

अध्यक्ष महोदय,

!! जोहार !!

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2023–24 का बजट सदन के पटल पर रख रहा हूँ।

प्रस्तावना

2. **अध्यक्ष महोदय,** सर्वप्रथम इस सदन की ओर से मैं वीर–भूमि झारखण्ड के अमर शहीद धरती आबा बिरसा मुण्डा के साथ तिलका मांझी, बीर बुधू भगत, पोटो हो, सिदो–कानु, चाँद–भैरव, फूलो–झानो, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, पाण्डे गणपत राय, नीलाम्बर–पीताम्बर और शेख भिखारी सहित सभी नाम–अनाम वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए स्वयं को न्योछावर कर दिया।

3. **अध्यक्ष महोदय,** यह झारखण्ड राज्य का बजट है। यह बजट जल–जंगल–जमीन की चेतना से संवेदित झारखण्ड की महान जनता को समर्पित है। राज्य के गरीबों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, मेहनतकश मजदूरों, किसानों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने वाला यह बजट है। यह समस्त झारखण्डवासियों का ''हमीन कर बजट'' है।

4. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन जी ने वर्ष 2022–23 के लिए **''हमर अपन बजट''** पोर्टल के माध्यम से एक नवाचारी प्रयोग प्रस्तुत किया था, जिसमें झारखण्डवासियों की उत्साहवर्द्धक भागीदारी हुई थी। उक्त क्रम में कई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से कई एक सुझाव बजट में सम्मिलित भी किये गये थे। वर्ष 2023–24

के लिए हमने इसे जनमन के और करीब लाते हुए **''हमीन कर बजट''** नाम दिया। विभिन्न बजट गोष्ठियों में राज्य और राज्य के बाहर के विद्वान अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के साथ–साथ झारखण्ड की आम जनता विशेषकर युवापीढ़ी की व्यापक भागीदारी हुई है। पूर्व की भाँति इस वर्ष भी कई नूतन एवं नवाचारी सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें बजट में शामिल किया गया है।

5. 'हमीन कर बजट' में प्रस्तावित योजनाओं को मूर्त रुप देने के लिए **''वर्ष 2023–24 योजना क्रियान्वयन वर्ष''** होगा।

उपलब्धियों के तीन वर्ष :–

6. **अध्यक्ष महोदय,** मैं सबसे पहले अपने युवा, संयमी, दृढ़ और दूरदर्शी मुख्यमंत्री को सदन की ओर से बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने कोराना के दो वर्षों के अत्यन्त विषम हालात में भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखा। साथ ही, विकास के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ने की चुनौतियों को स्वीकार कर अपने कुशल नेतृत्व और अथक प्रयास से सफलता पायी है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों को मुख्यमंत्री ने साकार कर दिखाया है–

विघ्नों को गले लगाते हैं,
काँटों में राह बनाते हैं,
है कौन विघ्न ऐसा जग में,
टिक सके आदमी के मग में?
खम ठोंक ठेलता है जब नर
पर्वत के जाते पाँव उखड़
मानव जब जोर लगाता है,
पत्थर पानी बन जाता है।

7. विषम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हमने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ उनका ध्यान रखा जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है। हमने विकास की राह में सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को आगे लाने का प्रयास किया है। सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना, सुखाड़ राहत, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में लगभग तीन गुणा की वृद्धि, मराङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती–साड़ी–लुंगी योजना सहित कई योजनाएं हमारी गठबंधन की सरकार ने शुरू की है, जो सीधे जनता की आकांक्षाओं, उम्मीदों और उनके उत्थान से जुड़ी हुई हैं।

8. **अध्यक्ष महोदय,** वर्ष 2019 के अंतिम दिनों में हमें जनता ने सेवा का अवसर दिया। आज लगभग तीन वर्षों में राज्य एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ विकास की ओर अग्रसर है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जिन पुरखों ने देश की आजादी और झारखण्ड राज्य के गठन के लिए संघर्ष किया था, वे हमारी इन कोशिशों से आनन्दित हो कर आशीर्वाद दे रहे होंगे।

9. **अध्यक्ष महोदय,** मजबूत अर्थव्यवस्था के मेरे दावे की पुष्टि आंकड़ों के अवलोकन से भी होती है। राज्य के आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए बताना चाहूँगा कि वर्ष 2019–20 में राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1 प्रतिशत था। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 2021–22 में अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 8.2 प्रतिशत रहा। वर्ष 2022–23

में राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत की तुलना में हमारे राज्य का विकास दर 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

10. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी गठबंधन की सरकार ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित और कम से कम स्तर तक रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने बेहतर वित्तीय प्रबन्धन के द्वारा वर्ष 2021–22 में राजकोषीय घाटा को 1 प्रतिशत से भी कम रखने में सफलता हासिल की है। इसके फलस्वरूप राज्य का Debt GDP Ratio में सुधार हुआ है।

11. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि राज्य ने अपने राजस्व आय (कर और गैर कर राजस्व) में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल की है। वर्ष 2019–20 में कुल राजस्व आय 25 हजार 5 सौ 21 करोड़ 43 लाख रुपये (25,521.43 करोड़ रुपये) थी जो वर्ष 2021–22 में 31 हजार 3 सौ 20 करोड़ 36 लाख रुपये (31,320.36 करोड़ रुपये) हो गयी तथा वर्ष 2022–23 में 23.28 प्रतिशत वृद्धि के साथ 38 हजार 6 सौ 12 करोड़ 84 लाख रुपये (38,612.84 करोड़ रुपये) रहने का अनुमान है।

12. **अध्यक्ष महोदय,** हमारे गठबंधन की सरकार के बजट की एक और महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि विगत् तीन वर्षों में स्थापना–व्यय में लगातार कमी आई है और योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। कुल व्यय में स्थापना एवं योजना व्यय का अनुपात देखा जाय तो यह वर्ष 2019–20 में 47:53 था, जो वर्ष 2022–23 में 43:57 रहना अनुमानित है तथा वर्ष 2023–24 में 39:61 प्रस्तावित है। यह इस बात को इंगित करता है कि वर्तमान सरकार स्थापना व्यय में लगातार कमी करते हुए राज्य के विकास कार्यों को अधिक तरज़ीह दे रही है।

13. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना हमारी प्राथमिकता रही है। ऐसे में पूँजीगत परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर हमने बल दिया है। वर्ष 2021–22 में यह 10 हजार 7 सौ 89 करोड़ रुपये

(10,789 करोड़ रुपये) था, जो वर्ष 2022–23 में 18 हजार 17 करोड़ रुपये (18,017 करोड़ रुपये) अनुमानित है। आगामी वर्ष 2023–24 में 25 हजार 3 सौ 17 करोड़ रुपये (25,317 करोड़ रुपये) पूँजीगत परिव्यय का आकलन किया गया है।

14. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य को बेहतर करने और भविष्य की पीढ़ी को आर्थिक बोझ की विरासत से बचाने के लिए बेहतर ऋण प्रबन्धन किया गया है।

15. **अध्यक्ष महोदय**, आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूँगा कि वर्ष 2020–21 से राज्य सरकार द्वारा Sinking Fund में लगातार निवेश किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अबतक इसमें लगभग 1,004 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जिसका उपयोग केवल ऋण भुगतान के लिये ही किया जा रहा है। इससे स्वस्थ आर्थिक हित के साथ–साथ राज्य की साख भी बढ़ी है।

वित्तीय संकल्पना

16. **अध्यक्ष महोदय,** मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूँ कि हमारे पाँव जमीन पर मजबूती से टिके हैं और विकास के आसमान को छूने का हौसला भी हम रखते हैं। इसी विश्वास के साथ मैं सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 1 लाख 16 हजार 4 सौ 18 करोड़ रुपये (1,16,418 करोड़ रुपये) का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

17. **अध्यक्ष महोदय,** वर्ष 2023–24 में राजस्व व्यय के लिए 84 हजार 6 सौ 76 करोड़ रुपये (84,676 करोड़ रुपये) प्रस्तावित है तथा पूँजीगत व्यय अन्तर्गत 31 हजार 7 सौ 42 करोड़ रुपये (31,742 करोड़ रुपये) का प्रस्ताव है।

18. बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 33 हजार 3 सौ 78 करोड़ 45 लाख रुपये (33,378.45 करोड़ रुपये), सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 43 हजार 3 सौ 3 करोड़ 44 लाख रुपये (43,303.44 करोड़ रुपये) तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 39 हजार 7 सौ 36 करोड़ 11 लाख रुपये (39,736.11 करोड़ रुपये) उपबंधित किये गये हैं।

19. **अध्यक्ष महोदय**, बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। राज्य को अपने कर राजस्व से 30 हजार 8 सौ 60 करोड़ रुपये (30,860 करोड़ रुपये) तथा गैर कर राजस्व से 17 हजार 2 सौ 59 करोड़ 44 लाख रुपये (17,259.44 करोड़ रुपये), केन्द्रीय सहायता से 16 हजार 4 सौ 38 करोड़ 42 लाख रुपये (16,438.42 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करो में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 33 हजार 7 सौ 79 करोड़ 29 लाख रुपये (33,779.29 करोड़ रुपये), लोक ऋण से 18 हजार करोड़ रुपये (18,000 करोड़ रुपये) एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से 80 करोड़ 85 लाख रुपये (80.85 करोड़ रुपये) प्राप्त होंगे।

20. वर्ष 2023–24 में राजकोषीय घाटा 11 हजार 6 सौ 74 करोड़ 57 लाख रुपये (11,674.57 करोड़ रुपये) होने का अनुमान है, जो कि अनुमानित GSDP का 2.76 प्रतिशत है।

21. वर्ष 2023–24 में राज्य के आर्थिक विकास दर वर्ष 2011–12 के Constant Price तथा Current Price पर क्रमशः 7.4 प्रतिशत तथा 11.06 प्रतिशत अनुमानित है।

कृषि एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्र

22. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य की आर्थिक–संस्कृति आज भी मुख्यतः खेती–किसानी पर ही आधारित है। हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना, सूखा से राहत दिलाना और सबसे महत्वपूर्ण उनके आय में वृद्धि करना है। झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से 4.5 लाख से अधिक किसानों के बीच 1 हजार 7 सौ 27 करोड़ रुपये (1,727 करोड़ रुपये) की ऋण माफी की गयी। सुखाड़ राहत हेतु प्रत्येक किसान परिवार को 3,500 रुपये की दर से लगभग 13 लाख किसानों के खाते में 461 करोड़ रुपये अनुग्राहिक राशि हस्तांतरित की गई। इन दोनों योजनाओं के लाभ से अब तक वंचित किसानों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में लाभान्वित किया जायेगा।

23. किसानों को सिंचाई का लाभ प्रदान करने और जल संरक्षण के दृष्टिकोण से वर्ष 2023–24 में **5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटाने तथा डीप बोरिंग इत्यादि योजना** हेतु 500 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

24. **अध्यक्ष महोदय,** सौर ऊर्जा आधारित **माइक्रोलिफ्ट ईरिगेशन** सिंचाई की व्यवस्था को कारगर बनाने में काफी किफायती है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में **कृषि समृद्धि योजना** लागू की जायेगी।

25. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी सरकार ने Farmer Producer Organisations (FPOs) के सशक्तीकरण को प्राथमिकता दिया है तथा वर्तमान में इनके माध्यम से बीज वितरण, एग्री मार्केटिंग इत्यादि से संबंधित कार्य कराया जा रहा है। FPOs को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने हेतु इनको कार्यशील

पूँजी सुलभ कराने तथा अन्य आर्थिक सहयोग के लिए नई योजना प्रारम्भ की जायेगी। **वर्ष 2023–24 में FPOs के अनुदान मद में 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।**

26. **अध्यक्ष महोदय,** कृषि के क्षेत्र में पेस्टीसाइड तथा फर्टीलाइजर का उपयोग कम करने तथा नवीनतम तकनीक के साथ जैविक खेती की दिशा में अग्रसर होने के उद्देश्य से **फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक एक नई योजना** प्रस्तावित है।

27. संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की जेनरल असम्बली ने वर्ष 2023 को **अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष** घोषित किया है। भारत सरकार द्वारा भी **श्री अन्न** (ज्वार, रागी, बाजरा, कुटु, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना एवं सावा) के अधिकाधिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा **मिलेट उत्पादन को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य मिलेट मिशन प्रारम्भ** किया जायेगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

28. **अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना** अन्तर्गत लाभुकों को पशुधन उपलब्ध कराते हुए उनकी आय में वृद्धि की जा रही है। वर्ष 2023–24 में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अधिक–से–अधिक लाभुकों को जोड़ने हेतु 300 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध किया गया है।

29. **अध्यक्ष महोदय,** वर्ष 2023–24 में **गिरिडीह एवं जमशेद्पुर में नये डेयरी प्लांट तथा राँची में मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना** हेतु 180 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

30. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के **दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य** से हमारी गठबंधन की सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को 1 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि देने की योजना प्रारम्भ की थी, जिसे वर्ष 2022–23 में

बढ़ाकर 2 रुपये किया गया। वर्ष 2023–24 में इसे 2 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये करने की घोषणा करता हूँ।

31. **अध्यक्ष महोदय,** लैम्पस/पैक्स के भंडारण क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2023–24 में 100 MT क्षमता के कुल 566 एवं 500 MT क्षमता के 146 नये गोदामों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है।

32. **अध्यक्ष महोदय,** आगामी वर्ष 2023–24 में कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के लिए बजट में 11.84 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए लगभग 4 हजार 6 सौ 27 करोड़ रुपये (4,627 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

ग्रामीण विकास

33. **अध्यक्ष महोदय,** ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्रोतों को बढ़ाते हुए रोजगार सृजन एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2022–23 में महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत 9 करोड़ अनुमोदित मानवदिवस के विरूद्ध अब तक कुल 7.63 करोड़ मानवदिवस का सृजन किया गया है। वर्ष 2023–24 में भी 9 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य है। इस हेतु 1,260 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

34. **अध्यक्ष महोदय,** किसानों को सिंचाई कूप उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा तथा राज्य योजना का अभिसरण करते हुए **बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन** नामक नई योजना लागू करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत 1 लाख किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप का निर्माण कराया जायेगा। इसके लिये राज्य योजना से प्रति लाभुक 50 हजार रुपये सामग्री मद में तथा शेष राशि मनरेगा योजना से देने का प्रावधान किया गया है।

35. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में 3 हजार 5 सौ 42 करोड़ रुपये (3,542 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

36. वर्ष 2023–24 में ग्रामीण विकास के लिए लगभग 8 हजार 1 सौ 66 करोड़ रुपये (8,166 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

जल संसाधन

37. **अध्यक्ष महोदय,** सोन–कनहर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना में भू–अर्जन प्रक्रिया की जटिलता से बचते हुए तथा इसके तीव्र कार्यान्वयन के मद्देनजर दुमका में मसलिया–रानेश्वर एवं देवघर–जामताड़ा जिला में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। इसी आधार पर **आगामी वित्तीय वर्ष में पटमदा तथा पलामू मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनायें प्रस्तावित** हैं।

38. सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023–24 में जल संसाधन के लिए लगभग 1 हजार 9 सौ 64 करोड़ रुपये (1,964 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

पंचायती राज

39. **अध्यक्ष महोदय,** आम लोगों को पंचायत स्तर पर सभी सुविधायें एक छत के नीचे उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार द्वारा **पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना प्रारम्भ** की जा रही है। सभी पंचायत सचिवालयों में पंचायत कार्यालय के अतिरिक्त प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से सभी प्रकार के प्रमाण–पत्र, ऑनलाईन सुविधायें, बैंकिंग कोरेसपोन्डेंट से संबंधित सुविधायें, निर्धारित दिवस पर हल्का से संबंधित कार्य की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों

के सामान्य पठन–पाठन हेतु प्रत्येक पंचायत सचिवालय में चरणबद्ध तरीके से **पंचायत ज्ञान केन्द्र की स्थापना** की जायेगी। **पंचायत सचिवालयों का जिला एवं राज्य स्तर से संवाद स्थापित करने तथा सरकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु 65 इंच का एल०ई०डी० टी०वी० अधिष्ठापित करने** की योजना प्रस्तावित है।

40. **अध्यक्ष महोदय,** 15वें वित्त आयोग अनुदान मद में 1 हजार 3 सौ 7 करोड़ रुपये (1,307 करोड़ रुपये) की राशि प्राप्त होने की संभावना है, जिसमें से जिला परिषदों को 10 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 15 प्रतिशत, तथा ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत, राशि दी जायेगी। उक्त राशि से संबंधित त्रिस्तरीय संस्थाओं द्वारा 30 प्रतिशत जलापूर्ति पर, 30 प्रतिशत स्वच्छता पर और शेष 40 प्रतिशत का व्यय स्थानीय आवश्यकता आधारित योजनाओं पर किया जा सकेगा। इससे पंचायत स्तर पर आधारभूत संरचना के Critical Gap को पूरा किया जा सकेगा।

41. पंचायती व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2023–24 में 1 हजार 9 सौ 68 करोड़ रुपये (1,968 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा

42. **अध्यक्ष महोदय,** सर्वजन पेंशन योजना का उद्देश्य गरीब, जरुरतमंद लोगों तथा अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आर्थिक सहायता पहुँचाना है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 11 लाख नये लाभुकों को जोड़ते हुए अबतक 21 लाख 8 हजार लाभुकों को आच्छादित किया गया है। वर्ष 2023–24 में राज्य के सर्वजन पेंशन योजनाओं के लिए 2 हजार 1 सौ 31 करोड़ रुपये (2,131 करोड़ रुपये) का प्रस्ताव है।

43. **अध्यक्ष महोदय,** विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन राशि, महिलाओं में स्वच्छता के प्रसार हेतु निःशुल्क सेनेटरी नैपकीन का वितरण, प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने एवं प्रसव उपरान्त मातृत्व केयर किट वितरण करने के उद्देश्य से **महिला एवं किशोरी कल्याण योजना प्रारम्भ** करने का प्रस्ताव है।

44. आँगनबाड़ी केन्द्र में आनेवाले बच्चों को पाठशाला पूर्व शिक्षा हेतु **''आँगनबाड़ी चलो अभियान योजना''** प्रारम्भ की जायेगी। इस योजना के तहत बच्चों को पोशाक एवं वर्क–बुक तथा सभी केन्द्रों में फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2023–24 में 1 सौ 90 करोड़ रुपये (190 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

45. राज्य में आँगनबाड़ी केन्द्रों का अपना भवन नहीं रहने से काफी दिक्कतें आती हैं, इसके मद्देनजर वर्ष 2023–24 में **800 नये आँगनबाड़ी भवन के निर्माण का प्रस्ताव** है। इसके तहत आगामी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

46. राज्य के सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों को 6 हजार रुपये प्रति केन्द्र की दर से समेकित निधि (Untied Fund) उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि छोटी–छोटी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

47. आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के चयन एवं मानदेय नियमावली गठित की गई है तथा इनके मासिक मानदेय में 3,100 से 4,800 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। वर्ष 2023–24 से इनके मासिक मानदेय में 500 तथा 250 रुपये की वृद्धि की जायेगी। साथ ही, इन सबों के लिये 500 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा करते हुए उन्हें **सामूहिक बीमा योजना** से आच्छादित करने का प्रस्ताव है।

48. आँगनबाड़ी सेविकाओं को आधुनिक सूचना तंत्र से जोड़ने के उद्देश्य से सभी **आँगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन** उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

49. **अध्यक्ष महोदय,** महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा हेतु वर्ष 2023–24 में 7 हजार 1 सौ 71 करोड़ रुपये (7,171 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है, जो वित्तीय वर्ष 2019–20 की तुलना में 66 प्रतिशत अधिक है।

शिक्षा प्रक्षेत्र

50. **अध्यक्ष महोदय,** प्रारंभिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

एहतशाम अख़्तर के शब्दों में –

शहर के अंधेरे को इक चराग़ काफी है,
सौ चराग़ जलते हैं, इक चराग़ के जलने से।

अध्यक्ष महोदय, राज्य के 1 हजार 8 सौ 28 पंचायत जीरो ड्रॉपआउट घोषित हो चुके हैं। हमारी सरकार **वर्ष 2023–24 में राज्य की सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉपआउट पंचायत** बनाने का लक्ष्य रखती है।

51. राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहल करते हुए 80 उत्कृष्ट विद्यालय तथा 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल के साथ–साथ 4 हजार 91 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय पर कार्य किया जा रहा है।

52. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के वैसे सभी सरकारी विद्यालय जहाँ बालिकाओं और बालकों के लिए अलग–अलग शौचालय नहीं हैं, वहाँ उनके लिए अलग–अलग शौचालय निर्माण एवं उसके नियमित रख–रखाव करने का लक्ष्य है।

53. **अध्यक्ष महोदय,** हमारे बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। इस हेतु मुंडारी, कुडुख, हो, खड़िया एवं संताली भाषाओं के अलावा **आगामी वित्तीय वर्ष से पहली बार बांग्ला एवं उड़िया भाषाओं** में कक्षा 1 से 5 तक चयनित विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा दी जायेगी।

54. राज्य में **नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका तथा बोकारो में आवासीय विद्यालय के निर्माण** का प्रस्ताव है।

55. वर्ष 2023–24 में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए 12 हजार 5 सौ 46 करोड़ रुपये (12,546 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

56. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य गठन के पश्चात् पहली बार उच्च शिक्षा से सम्बद्ध शिक्षण संस्थानों, तकनीकी संस्थानों एवं छात्रावासों के जीर्णोद्धार एवं नव निर्माण सहित अन्य आधारभूत संरचनायें उपलब्ध कराने हेतु चरणबद्ध तरीके से योजना के कार्यान्वयन का लक्ष्य है। इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 385 करोड़ रुपये का बजटीय प्रस्ताव रखा गया है।

57. **अध्यक्ष महोदय,** छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए **गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना** एवं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए **निःशुल्क कोचिंग हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना का कार्यान्वयन** किया जायेगा, जिसमें लगभग 37,000 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

58. सभी राजकीय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए **Inovation-cum-Start up Centre की स्थापना** का प्रस्ताव है।

59. तकनीकी शिक्षा में नामांकन अनुपात में वृद्धि हेतु बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर एवं नॉलेज सिटी, खूंटी में **नये राजकीय पोलिटेकनिक** खोले जाने का प्रस्ताव है।

60. प्रेझा फाउंडेशन के सहयोग से गोड्डा, जामताड़ा, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, खूँटी, बगोदर एवं पलामू जिले में नवनिर्मित 8 पॉलिटेकनिक का संचालन अगले शैक्षणिक सत्र से किया जाना प्रस्तावित है।

61. **अध्यक्ष महोदय,** आज उच्च शिक्षा में अधिक–से–अधिक युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और इसे राष्ट्रीय और वैश्विक पटल तक ले जाने के लिए वर्ष 2023–24 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2 हजार 3 सौ 54 करोड़ 53 लाख रुपये (2,354.53 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

62. **अध्यक्ष महोदय,** स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ समाज, स्वस्थ समाज से विकसित राज्य की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार राज्य के सभी नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। आगामी वित्तीय वर्ष में निम्न योजनायें प्रस्तावित हैं–

(i) **बोकारो एवं राँची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना।**

(ii) **पलामू, चाईबासा एवं दुमका में मनोचिकित्सा केन्द्र की स्थापना।**

(iii) राँची में पी०पी०पी० मोड पर Alcohol De addiction Centre खोला जाना।

(iv) चलन्त ग्राम क्लीनिक का संचालन एवं प्रबंधन।

(v) नए नर्सिंग कॉलेज एवं फार्मेसी कॉलेज की स्थापना।

63. **अध्यक्ष महोदय,** पोस्ट कोविड समय में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 7 हजार 40 करोड़ 90 लाख रुपये (7,040.90 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है, जो वर्ष 2019–20 से 70.42 प्रतिशत अधिक है।

पेयजल एवं स्वच्छता

64. **अध्यक्ष महोदय,** वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत राज्य के कुल 61 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को कार्यरत घरेलू नल संयोजन (FHTC) के द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के लक्ष्य है। इसके विरुद्ध अबतक 18.97 लाख परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में शत्–प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने का लक्ष्य है।

65. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–II अंतर्गत ग्राम स्तर पर ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के आधार पर 2,005 गांवों को 1 Star, 202 गांवों को 3 Star एवं 229 गांवों को 5 Star घोषित किया गया है।

66. वर्ष 2023–24 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हेतु 4 हजार 3 सौ 72 करोड़ 21 लाख रुपये (4,372.21 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है, जो वर्ष 2019–20 के तुलना में 72.15 प्रतिशत अधिक है।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

67. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक गरीब को नियमित रुप से ससमय पूरा राशन प्राप्त हो। राज्य के 60 लाख से अधिक परिवारों के 2 करोड़ 60 लाख लाभुकों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में सूचना तकनीक का प्रयोग करते हुए खाद्य वितरण की प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण एवं सरलीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

68. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित रह जाने वाले गरीब तबके को झारखण्ड खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से जोड़ा गया है। इसके तहत 4 लाख से अधिक परिवारों के लगभग 20 लाख लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के सदृश खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

69. अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के क्रम में जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत **मोटा अनाज किये जाने का प्रस्ताव** है। इसके अतिरिक्त **प्रोटीनयुक्त अन्य खाद्य सामग्रियों के वितरण** भी किया जायेगा।

70. वर्ष 2023–24 में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2 हजार 7 सौ 50 करोड़ 15 लाख रुपये (2,750.15 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है, जो वित्तीय वर्ष 2019–20 की तुलना में 103.46 प्रतिशत अधिक है।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

71. **अध्यक्ष महोदय,** हमारे ITI संस्थान काफी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं एवं उनके द्वारा काफी पुराने पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा दी जा रही है, जिसकी वजह से प्रशिक्षित छात्र–छात्राओं को नौकरी मिलने में कठिनाई होती है। उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हों, इस दृष्टिकोण से वर्ष 2023–24 में ITI संस्थानों के आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, पाठ्यक्रम के Upgradation तथा नये एवं आधुनिक तकनीकों का उपयोग से बेहतर शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करने का प्रस्ताव है।

72. वर्ष 2023–24 में मुख्यमंत्री सारथी योजना के अन्तर्गत राज्य के 1 लाख 40 हजार युवक–युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य है। प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार न मिलने की स्थिति में 6 माह तक पुरुषों को 1 हजार रुपये

प्रतिमाह तथा महिलाओं और दिव्यांगों को 1 हजार 5 सौ रुपये प्रतिमाह दिया जाना है।

73. **अध्यक्ष महोदय,** वर्ष 2023–24 में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के लिए बजट में 67 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 9 सौ 85 करोड़ 85 लाख रुपये (985. 85 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण

74. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी गठबंधन की सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयास कर रही है। 2014 के बाद प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली, 2022 का गठन करते हुए छात्रवृत्ति की राशि में लगभग तीन गुणा वृद्धि की गयी है। इस वित्तीय वर्ष में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत 22 लाख से अधिक छात्र–छात्राओं को 462 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान किया गया है।

75. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु सस्ते दर पर ऋण और अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अबतक 5 हजार 6 सौ आवेदन स्वीकृत करते हुए 46 करोड़ रुपये से अधिक राशि लाभुकों को ऋण के रुप में दी गयी है। **वर्ष 2023–24 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का विस्तारीकरण करते हुए दो लाख युवाओं को लाभ** पहुँचाने का लक्ष्य है।

76. अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निःशुल्क आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राँची, जमशेदपुर, हजारीबाग,

धनबाद, देवघर, बोकारो, चाईबासा आदि प्रमुख शहरों में चरणबद्ध तरीके से बहुमंजिला छात्रावासों के निर्माण का प्रस्ताव है।

77. सभी छात्रावासों में छात्र–छात्राओं को **निःशुल्क भोजन** एवं छात्रावास में रसोईया सहित अन्य कर्मी उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

78. आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में पठन–पाठन का कार्य सुचारू रूप से चले इस हेतु **छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना** का प्रस्ताव है।

79. जनजातीय संस्कृति एवं उनकी समृद्ध विरासत के संरक्षण हेतु जनजातीय संस्कृति एवं कला केन्द्रों में उनके **पारम्परिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति** का प्रस्ताव है।

80. **अध्यक्ष महोदय,** मानकी–मुण्डा शासन व्यवस्था के तहत मानकी, मुण्डा, डकुआ आदि की न्यायिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य भूमिकाओं के महत्व को देखते हुए उन्हें वर्ष 2023–24 में **दोपहिया वाहन सुलभ कराने का प्रस्ताव** है।

81. वर्ष 2023–24 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 3 हजार 11 करोड़ 65 लाख रुपये (3,011.65 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

82. **अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 में लघु वन उत्पादों के प्रसंस्करण इकाईयों को प्रोत्साहित** करने का प्रस्ताव है।

83. **अध्यक्ष महोदय,** आजादी के 75 वर्ष बाद भी काफी संख्या में ऐसे गांव है, जो जंगल के बीचो–बीच अवस्थित हैं तथा अभी तक पक्की सड़क से नहीं जुड़े हैं। राज्य सरकार इन सभी गांवों को आगामी वित्तीय वर्षों में **पक्की सड़क** से जोड़ने का कार्य करेगी।

84. वर्ष 2023–24 में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए 1 हजार 1 सौ 62 करोड़ 70 लाख रुपये (1,162.70 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

पथ निर्माण

85. **अध्यक्ष महोदय,** आधारभूत संरचना का विकास न केवल अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है, वरन यह सामाजिक विकास और सांस्कृतिक उन्नयन का भी वाहक है। राज्य गठन के समय राज्य में पथों की कुल लम्बाई 5 हजार 4 सौ कि०मी० थी, जो बढ़कर 13 हजार 7 सौ 16 कि०मी० हो गई है। पथों का घनत्व वर्ष 2022–23 के प्रारम्भ में 168 कि०मी० प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर था, जो अब बढ़कर 172 कि०मी० हो गया है।

86. राजधानी राँची में ट्रैफिक को सुगम बनाने के उद्देश्य से पिछले दो वर्षों में कई नई योजनायें प्रारम्भ की गई हैं। इनमें से राँची में सिरमटोली चौक से राजेन्द्र चौक तक फ्लाईओवर, कांटाटोली फ्लाईओवर तथा विकास विद्यालय से नामकोम तक फोरलेन योजनायें प्रमुख हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में राँची मास्टर प्लान, 2037 के अनुरूप इनर रिंग रोड के Missing Link के निर्माण का प्रस्ताव है।

87. वर्ष 2023–24 में निम्न पथ परियोजनाओं को प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है–

- साहेबगंज–बरहेट–जामताड़ा–दुमका–गोविन्दपुर ए०डी०बी० पथ का फोरलेन में उन्नयन।
- कोडरमा–जमुआ–गिरिडीह–टुण्डी–गोविन्दपुर (SH-13) पथ का फोरलेन में उन्नयन।
- सतसंग–भिरखीबाद पथ का फोरलेन में उन्नयन।

88. वर्ष 2023–24 में बाह्य सम्पोषित परियोजना के अन्तर्गत लगभग **400 कि०मी० पथ निर्माण प्रस्तावित** है।

89. वर्ष 2023–24 में पथ निर्माण विभाग के लिए 5 हजार 8 सौ 56 करोड़ 79 लाख रुपये (5,856.79 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

ग्रामीण कार्य

90. **अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** के तहत केन्द्र सरकार से स्वीकृत लगभग 3 हजार 1 सौ कि०मी० सड़कें तथा 143 पुलों के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की योजना है।

91. **अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना** के तहत आगामी वित्तीय वर्षों में सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्र, बाजार–हाट, पंचायत कार्यालय, मध्य/उच्च विद्यालय, पोस्ट ऑफिस/बैंकों को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव है।

92. **अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के पुरानी सड़कों के चरणबद्ध तरीके से जीर्णोद्धार करने हेतु सतह नवीकरण–सह–विशेष मरम्मति योजना** प्रारम्भ की गई है। इसके तहत पूर्व में निर्मित ग्रामीण सड़कें जिनका निर्माण कार्य के पश्चात् कभी भी मरम्मति नहीं की गयी थी, वर्ष 2023–24 में लगभग 3 हजार कि०मी० वैसे ग्रामीण सड़कों की सतह नवीकरण–सह–विशेष मरम्मति कराने का प्रस्ताव है।

93. **अध्यक्ष महोदय,** वर्ष 2023–24 में ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 4 हजार 2 सौ 93 करोड़ 57 लाख रुपये (4,293.57 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

नागर विमानन

94. **अध्यक्ष महोदय,** Regional Connectivity Scheme के तहत वर्ष 2022–23 में देवघर तथा जमशेद्पुर से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2023–24 में **दुमका तथा बोकारो स्थित हवाई अड्डों से उड़ान प्रारंभ करने का प्रस्ताव** है।

95. साहेबगंज जिला में हवाई अड्डा के निर्माण हेतु चिन्हित भूमि का Technical Feasibility Survey कार्य कराया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में भूमि अधिग्रहण तथा हवाई अड्डा के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ MoU करने का प्रस्ताव है।

96. दुमका में राज्य सरकार द्वारा Commercial Pilot Licence with Multi Engine Rating स्तर के प्रशिक्षण केन्द्र हेतु DGCA से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस योजना के तहत **30 प्रशिक्षुओं को CPL प्रशिक्षण** दिया जाना प्रस्तावित है।

97. वर्ष 2023–24 से आम जनता के लिए सस्ते दर पर **Air Ambulance सेवा प्रारम्भ** की जायेगी।

98. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में घरेलु उड़ान के विस्तार और पायलट प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2023–24 में 3 सौ 54 करोड़ 40 लाख रुपये (354.40 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

ऊर्जा

99. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में गुणवत्तापूर्ण निर्बाध बिजली आपूर्ति करना सरकार का लक्ष्य है। 100 यूनिट बिजली मुफ्त योजना के तहत राज्य के सभी घरेलु एवं

शहरी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ अगस्त, 2022 से दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लगभग 18 लाख उपभोक्ता उठा रहे हैं। वर्ष 2023–24 में इस योजना को जारी रखने हेतु बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने के लिए 2,300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

100. केन्द्र सरकार की योजना Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) के तहत राज्य सरकार के Power Loss को कम करने एवं वितरण व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पुराने तार को AB Cable से बदलने, नये Power Sub Station बनाने, पुराने ट्रांसफारमर को बदलने और नया लगाने के साथ–साथ लगभग 13 लाख उपभोक्ताओं को Smart Prepaid Meter युक्त करने की योजना प्रस्तावित है।

101. पतरातू अवस्थित NTPC के साथ Joint venture के तहत विद्युत उत्पादन के लिए प्लांट अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है, जिसे पूर्ण करते हुए शीघ्र ही विद्युत उत्पादन करते हुए उद्योग एवं अन्य सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जाना है।

102. गैर पारम्परिक ऊर्जा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने हाल में ही सोलर पॉलिसी लागू की है। इसके तहत Floating Solar प्लांट अधिष्ठापन हेतु गेतलसुद में पूर्व से स्वीकृत योजना के अतिरिक्त **चाण्डिल में भी PPP मोड में प्लांट** अधिष्ठापन का प्रस्ताव है।

103. वर्ष 2023–24 में **तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (TVNL) का क्षमता विस्तार एवं सामर्थ्य संवर्धन** का प्रस्ताव है। साथ ही, TVNL को आवंटित कोल ब्लॉक राजबार माईन्स को प्रारम्भ किया जायेगा।

104. **अध्यक्ष महोदय,** विद्युत हमारे रोजमर्रा के जीवन और समग्र विकास की रीढ़ है। वर्ष 2023–24 में 7 हजार 7 सौ 69 करोड़ 10 लाख रुपये (7,769.10 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

उद्योग

105. **अध्यक्ष महोदय,** पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना काफी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, जिसका कुप्रभाव औद्योगिक इकाईयों पर पड़ रहा है। इसलिए राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में सभी पुराने औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्निर्माण करने की कार्रवाई करेगी। साथ ही, क्षेत्रीय संतुलन बनाने तथा औद्योगिक इकाईयों के स्थापना की संभावनाओं को देखते हुए **नये औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण** का भी प्रस्ताव है।

106. वर्ष 2023–24 में MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करने, ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए **एक dedicated MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) निदेशालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।** साथ ही, MSME के लिए विशेष रुप से प्रोत्साहन प्रदान करने और उनकी जरुरतों को पूरा करने के लिए **नई MSME Policy** लागू करने का भी प्रस्ताव है।

107. झारखण्ड फूड/फीड प्रसंस्करण प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, 2015 के तहत बड़े पैमाने में रोजगार सृजन तथा निवेश हुआ है तथा कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन एवं किसानों की आय तथा उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। झारखण्ड फूड/फीड प्रसंस्करण प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, 2015 के दो वर्षो

के विस्तार के उपरांत **नई खाद्य प्रसंस्करण नीति** गठित करने का प्रस्ताव है।

108. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में उद्योगों के विकास और विस्तार विशेषकर मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रधानता देते हुए वर्ष 2023–24 में उद्योग विभाग के लिए 4 सौ 74 करोड़ 50 लाख रुपये (474.50 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

नगर विकास एवं आवास

109. **अध्यक्ष महोदय,** स्वच्छ सर्वेक्षण, 2022 में स्वच्छता कार्यों हेतु देश के समस्त राज्यों में से **झारखण्ड राज्य को (सौ निकायों से कम वाले राज्य की श्रेणी में) द्वितीय स्थान** प्राप्त हुआ है तथा **बुण्डू एवं चाईबासा को फीडबैक श्रेणी में सम्मानित** किया गया है।

110. भारत सरकार द्वारा जमशेदपुर को 3 Star Garbage Free City एवं मानगो को 1 Star Garbage Free City प्रमाणित किया गया है।

111. **अध्यक्ष महोदय,** अमृत 2.0 योजना अंतर्गत रामगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना, सिमडेगा शहरी जलापूर्ति योजना तथा 45 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य करने का प्रस्ताव है।

112. एशियन विकास बैंक द्वारा संपोषित योजना अंतर्गत वर्ष 2023–24 में झुमरीतिलैया शहरी जलापूर्ति योजना, मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना एवं राँची इन्टेक वर्क्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

113. विश्व बैंक द्वारा संपोषित Jharkhand Municipal Deveopment Project (JMDP) अंतर्गत वर्ष 2023–24 में **लोहरदगा, गुमला एवं कपाली नगर**

निकायों में शहरी जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

114. वर्ष 2023–24 में नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 3 हजार 3 सौ 46 करोड़ 37 लाख रुपये (3,346.37 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य

115. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड में पर्यटन की असीम संभावनाये हैं। पर्यटन–उद्योग स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी काफी उपयोगी है। इसलिए राज्य सरकार पर्यटन पर विशेष बल देना चाह रही है। **राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हुए अलग से एक पर्यटन नीति का गठन किया जायेगा।**

116. नेतरहाट को एक Tourist Destination के रूप में विकसित करने हेतु Netarhat Tourist Development Authority बनाने का प्रस्ताव है।

117. राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु **ग्रास रूट ट्रेनिंग सेन्टर एवं सिदो–कानु युवा क्लब** स्थापित किये जायेंगे।

118. वर्ष 2023–24 में पर्यटन विभाग के लिए 3 सौ 49 करोड़ 20 लाख रुपये (349.20 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस

119. **अध्यक्ष महोदय, आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके द्वार** कार्यक्रम से जनभावनाओं को समझने और उनकी अपेक्षाओं के अनुरुप कार्य करने की

अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। इसके लिए पोर्टल के माध्यम से अभियान के दौरान कुल 55 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसका निस्तारण किया जा रहा है।

120. वर्ष 2023–24 में Blockchain Infrastructure के माध्यम से ई–गर्वेनेंस सर्विस को अत्याधुनिक पारदर्शी, सुरक्षित एवं विश्वसनीय **डिजिटल प्लेटफार्म** बनाने का प्रस्ताव है।

121. वर्ष 2023–24 में राज्य सरकार द्वारा RTI Portal विकसित किया जायेगा। इस पोर्टल के माध्यम से RTI आवेदन/प्रथम अपीलीय आवेदन प्राप्त किये जायेंगे एवं उसके शुल्क का भुगतान Internet Banking के माध्यम से किया जा सकेगा।

122. **अध्यक्ष महोदय,** हमारे राज्य में State Data Centre तो है, किन्तु कोई रिकवरी सेंटर नहीं है। वर्ष 2023–24 में **State Data Recovery Centre के निर्माण** का प्रस्ताव है।

123. वर्ष 2023–24 में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 3 सौ 4 करोड़ 36 लाख रुपये (304.36 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

सूचना एवं जनसम्पर्क

124. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड राज्य के पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से **पत्रकार सम्मान सुरक्षा योजना** लागू की गई है।

125. जनता एवं सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता हेतु नवीनतम तकनीक के माध्यम से रिमोट कॉन्फ्रेसिंग एवं मॉनेटरिंग सिस्टम **'एक पहल'** प्रारम्भ करने की योजना है, जिसके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रियों एवं पदाधिकारियों द्वारा लाईव वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित किया जायेगा।

126. **अध्यक्ष महोदय,** सरकार और आम जनता के मध्य दो तरफा संवाद के महत्व में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की भूमिका को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2023–24 में 2 सौ 15 करोड़ 66 लाख रुपये (215.66 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

127. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के सभी **जिलों में अवस्थित पुलिस लाईन का चरणबद्ध सुदृढ़ीकरण किये जाने की योजना है।** इसके तहत पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, मुसाबनी, जामताड़ा एवं पाकुड़ पुलिस लाईन में क्वार्टर निर्माण, गोड्डा पुलिस लाईन में रिजर्व ऑफिस, क्वार्टर, परेड ग्राउण्ड आदि के निर्माण का प्रस्ताव है।

128. राज्य के काराओं में व्याप्त ओवरक्राउडिंग (Overcrowding) की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से **नये कारा का निर्माण तथा चक्रधरपुर और चाण्डिल में उप कारा का निर्माण** प्रस्तावित है।

129. माननीय न्यायालय में राज्य काराओं के बंदियों के उपस्थापन/विचारण हेतु विभिन्न काराओं/संबंधित व्यवहार न्यायालयों में Video Conferencing System का अधिष्ठापन कराया जाना प्रस्तावित है।

130. वर्ष 2023–24 में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 9 हजार 1 सौ 58 करोड़ 25 लाख रुपये (9,158.25 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

योजना एवं विकास

131. **अध्यक्ष महोदय,** आपके माध्यम से सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि झारखण्ड देश का पहला राज्य है, जिसने न केवल आउटकम बजट के सूत्रण की प्रक्रिया में सतत् विकास लक्ष्यों को केन्द्र में रखा है, अपितु ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से वित्तीय वर्षवार आउटकम बजट के विरुद्ध प्रगति प्रतिवेदन को भी सदन के पटल पर प्रस्तुत करता रहा है।

132. **अध्यक्ष महोदय,** योजना एवं विकास विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 से आउटकम बजट का सूत्रण किया जा रहा है। वर्ष 2023–24 हेतु कुल 13 विभागों का आउटकम बजट इस सदन के पटल पर लगातार तीसरी बार प्रस्तुत किया जा रहा है।

133. वर्ष 2022–23 में 13 विभागों द्वारा कुल 38 हजार 2 सौ 10 करोड़ रुपये (38,210 करोड़ रुपये) की राशि का आउटकम बजट सूत्रित किया गया था। वर्ष 2023–24 में कुल 43 हजार 4 सौ 11 करोड़ रुपये (43,411 करोड़ रुपये) की राशि का आउटकम बजट इस पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 11 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2023–24 के आउटकम बजट में झारखण्ड सरकार के 13 विभागों की कुल 238 राज्य एवं केन्द्रीय योजनायें सन्निहित हैं।

134. **अध्यक्ष महोदय,** विकास के लिए योजनाओं का अवधारण और सूत्रण के साथ–साथ विभिन्न प्रक्षेत्रों में क्रिटिकल गैप पूरा करने में योजना एवं विकास विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023–24 में योजना एवं विकास विभाग के लिए 3 सौ 41 करोड़ 69 लाख रुपये (341.69 करोड़ रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

135. **अध्यक्ष महोदय**, हमारी गठबंधन की सरकार जो कहती है, वो कर के दिखाती है। हमने यह घोषणा की थी कि हम राज्य के कर्मियों के रिटायरमेन्ट प्लान को आर्थिक जोखिमों से दूर कर उन्हें एक बेहतर भविष्य देने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हमने राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू की है। हमारी सरकार सदन को यह बताना चाहती है कि भविष्य में राजकोष पर पेंशन का आर्थिक बोझ कम करने के दृष्टिकोण से **पेंशन कोष का गठन** किया जायेगा। इसके लिए वर्ष 2023–24 में 700 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव है।

136. **अध्यक्ष महोदय, वित्तीय प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एवं आय–व्यय को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त विभाग द्वारा एक डैशबोर्ड बनाया जायेगा।** इससे सुलभ एवं सुगम तरीके से आय–व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध हो सकेगी।

137. **अध्यक्ष महोदय,** और अंत में, कहना चाहता हूँ कि काल की शाश्वतता में आज का यह कालखंड हमारे आने वाले भविष्य की नींव है। इसलिए आज हमने सदन के पटल पर केवल आय–व्यय का दस्तावेज ही नहीं रखा है, अपितु यह समस्त झारखण्डवासियों के आज और कल की आशाओं और उम्मीदों की मूक अभिव्यक्ति को भी वाणी दी है। हमारे युवा मुख्यमंत्री कहते हैं कि कठिनाईयाँ और विषम परिस्थितियाँ मंजिल के लिए बाधा नहीं, बल्कि वे और ज्यादा दृढ़ प्रयास करने को प्रेरित और संकल्पित करती हैं।

चन्द्रोदय से पूरनमासी के सफर से आगे हमारी गठबंधन की सरकार समस्त झारखण्डवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि हम प्रगति और

खुशहाली के उस पथ पर अग्रसर है जहाँ विकास का सूरज कभी अस्त नहीं होता है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता **''लोहे के पेड़ हरे होंगे''** की पंक्तियों के साथ मैं इस बजट को सम्मानीय सदन को समर्पित करता हूँ –

दिन की कराल दाहकता पर
चाँदनी सुशीतल छाएगी।
ज्वालामुखियों के कण्ठों में
कलकण्ठी का आसन होगा,
जलदों से लदा गगन होगा
फूल से भरा भुवन होगा।

जय हिन्द ! **जय झारखण्ड !**

जोहार !